न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 04 / 2020

अनवान : –

1. इन्द्रमणी पत्नी मदनलाल जाति महाजन निवासी नोहर जरिये मुख्त्यारआम खास मदनलाल पुत्र ख्यालीराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मेदलता पत्नी आनन्द कुमार जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

अवमानना याचिका अन्तर्गत
आदेश 39 नियम 1, 2(क) सीपीसी

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 02/06/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 5 की संयुक्त खाता की भूमि है उक्त भूमि बाबत प्रार्थी ने एक वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 02.07.2020 को पेश किया।

न्यायालय हाजा द्वारा रोही मौजा 15 जेएसएन के खाता स0 5 की कुल 2.669 हैक्ट भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। लेकिन अप्रार्थी द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना की गई एवं प्रार्थी की बोयी हुई मूंग की फसल को नष्ट कर दिया। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की गई है इसलिए अप्रार्थी ओमप्रकाश को अवमानना का दोषी करार दिया जाकर नियमानुसार दण्डित किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की अप्रार्थी को कोई सूचना नही दि गई एवं न ही नोटिस जारी किया गया। सायलान स्वयं प्रोपटी डिलर का काम करता है एवं अपने नाम दर्ज भूमि से अधिक व अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होने की फिराक में है। अप्रार्थी द्वारा अदालत के किसी आदेश की अवहेलना नही कि गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की न्यायालय हाजा द्वारा रोही मौजा 15 जेएसएन के खाता स0 5 की कुल 2.669 हैक्ट भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। लेकिन अप्रार्थी द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना की गई एवं प्रार्थी की बोयी हुई मूंग की फसल को नष्ट कर दिया। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की अवहेलना की गई है इसलिए अप्रार्थी ओमप्रकाश को अवमानना का दोषी करार दिया जाकर नियमानुसार दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की अप्रार्थी को कोई सूचना नही दि गई एवं न ही नोटिस जारी किया गया। सायलान स्वयं प्रोपटी डिलर का काम करता है एवं अपने नाम दर्ज भूमि से अधिक व अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होने की फिराक में है। अप्रार्थी द्वारा अदालत के किसी आदेश की अवहेलना नही कि गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि बाबत दिनांक 02.07.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी प्रार्थीया की फसल को खुर्द बुर्द किया है लेकिन अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को उक्त स्थगन का ज्ञान भी नही था एवं सायल द्वारा अप्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि में फसल काश्त की गई थी सायल ने अपने हक व हिस्सा की फसल को खुर्द बुर्द किया था न की सायलान की फसल को। उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किया जाना प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:48 IST
Reason: SelfAttested